अपमा®

AUTOMOTIVE PARTS
MERCHANTS
ASSOCIATION
(Regd.)

Estd. 1965

WWW.APMA.IN

सरकूलर नं0: अपमा/2018–2020/174 दिनांक : 18–3–2020

''कोरोना वायरस(COVID-19)
से बचाव हेतु सैनिटाइजर का वितरण

साथियों, कोरोना वायरस से बचाव हेतु हमारे व्यापारी भाई एवं ग्राहक काफी सचेत है। सावधानी एवं स्वच्छता के माध्यम इस कोरोना वायरस से बचा जा सकता है। हमारे सभी व्यापारी ने अपनी–अपनी पर दुकानों पर सैनिटाइजर रखे हुए है। आपकी संस्था द्वारा समय–समय पर कोरोना वायरस से संबंधित सूचनाएं दी जा रही है। यदि सरकार की तरफ से मार्किट बन्द करने का आदेश आता है तो हम आपको सरकूलर के माध्यम से तुरन्त सूचित करें। अभी ऐसा कोई आदेश नहीं है, कृपया अफवाहों पर ध्यान ना दें।

व्यापारी भाईयों इस वायरस से डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, साफ–सफाई एवं सावधानी बरतते हुए काफी संख्या में मरीज स्वस्थ हो रहें है। इस मुहिम में आपकी संस्था द्वारा मार्किट में 200 सैनिटाइजर की बोतलें उपलब्ध करवायी जा रही है। जोकि मार्किट के विभिन्न स्थानों में रखवायी जाऐगी जिसके लिए आपका सहयोग प्राथनीय है। संस्था की तरफ से 30–40 दुकाना के ग्रुप में एक सैनिटाइजर की बोतल उपलब्ध करवायी जाऐगी। कृपया 30–40 दुकानों का एक सामुहिक रूप से बोतल रखवाने के लिए आप अपना नाम एवं फर्म का नाम लिखवाने के लिए अपमा कार्यालय के दूरभाष नं 011–23967505, 23948000 पर जल्द से जल्द सम्पर्क करें। ताकि हमको आपको सैनिटाइजर की बोतल उपलब्ध करवा सकें। और बाहर से आने वाले व्यापारी भाई, झल्लीवाले, ठेलेवाले, कर्मचारी सैनिटाइजर से हाथ साफ करके इस वायरस से बचा जा सकें।

बन्धुओं, अपमा के नागरिक सुविधाएं उपसमिति के चेयरमैन श्री सतीश कुमार गुप्ता जी (9717223139) ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए अपनी तरफ से मास्क उपलब्ध करवाये हैं, इसके लिए अपमा कार्यकारिणी नागरिक सुविधाएं उपसमिति के चेयरमैन श्री सतीश कुमार गुप्ता जी का हार्दिक आभार व्यक्त करती है। यदि किसी व्यक्ति को मास्क की आवश्यकता हो, वह अपमा से प्राप्त कर सकता है। और यदि कोई इच्छुक व्यापारी भाई भी अपनी तरफ से सैनिटाइजर या मास्क आदि दान देना चाहते हैं तो उनका भी हार्दिक स्वागत है, इसके लिए आप अपमा कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृ0प0उ0..........2

कोरोना वायरस(COVID-19) से बचाएगा 'होम क्वारंटाइन'

कोरोना वायरस से बचाव को लेकर घर में खुद को क्वारंटाइन करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिशा–निर्देश जारी किय हैं। मंत्रालय के मुताबिक घर पर अलग रहने का उद्देश्य 'आपको और आपके अपनों की रक्षा करना है।' अगर आपको या आपके परिवार को इस खतरनाक वायरस से संक्रमित होने का संदेह है, तो इन दिशा–निर्देशों को फॉलो कर आप अपने घर में ही खुद को आइसोलेट(अलग) कर सकते हैं।

क्या है होम क्वारंटाइन ?

होम क्वारंटाइन का मतलब घर पर अपने आप को दूसरे लोगों से अलग कर लेना है। अगर आपको कोरोना वायरस से संक्रमित होने का संदेह है या फिर सर्दी–जुकाम लगा हुआ है तो आप एक कमरे में अपने आप को अलग कर लें। इससे आपके परिवार में किसी को वायरस नहीं फैलेगा।

घर पर कैसे कर सकते है अपने आप को क्वारंटाइन ?

–होम क्वारंटाइन के लिए एक हवादार कमरा हो, जिसमें टॉयलेट भी हो।
–अगर उस कमरे में अन्य परिजन हो, तो दोनों में एक मीटर की दूरी हो।
–दोनों शख्स घर के अन्य बुजुर्गों, गर्भवतियों और बच्चों से दूर रहें।
–संदिग्ध समारोह, में 14 दिन या जब तक स्वस्थ न हो जाएं, हिस्सा न लें।
–साबुन से हाथ धोएं और एल्कोहल बेस्ड हैंड सैनेटाइजर का इस्तेमाल करें।
–घर में खुद से पानी, बर्तन, तौलिए और अन्य किसी चीज को न छुएं।
–सर्जिकल मास्क लगाकर रहें। हर 6–8 घंटे में मास्क बदलें।

किसको अपने आप को 'अलग' कर लेना चाहिए ?

हरेक शख्स जो मरीज के कॉन्टेक्ट में आया हा या फिर जिसे लक्षण दिखने पर शक हो रहा हो वे घर पर अपने आप को अलग कर सकते हैं। अभी तक देखा गया है कि वायरस के लक्षण सामने आने में 14 दिनों का वक्त लग रहा है, ऐसे में अगर आप लापरवाही करेंगे तो इससे सैकड़ों लोग बीमार हो सकते हैं।

होम क्वारंटाइन व्यक्ति के परिजनों के लिए गाइडलाइंस ?

–घर का कोई एक सदस्य ही ऐसे व्यक्ति की देखभाल करें।
–ऐसे व्यक्ति की त्वचा के सीधे संपर्क में आने से बचें।
–घर को साफ करने के लिए दस्ताने पहनें।
–घर में किसी बाहरी व्यक्ति को न आने दें।
–होम क्वॉरंटाइन व्यक्ति के कमरे के फर्श और हर चीज को एक फीसदी सोडियम हाइपोक्लोराइट सोल्यूशन से साफ करें।
–इसके अलावा टॉयलेट को भी रोज रेगुलर हाउसहोल्ड ब्लीच से साफ करें।

होम क्वॉरंटाइन व्यक्ति में लक्षण नजर आए तो 14 दिनों तक सभी नजदीकी संपर्क बंद कर दें। ऐसा तब तक करें जब तक रिपोर्ट निगेटिव न आ जाए।

(विनय नारंग)
महासचिव

(सतीश कुमार गुप्ता)
चैयरमैन,
नागरिक सुविधाएं उपसमिति, अपमा